



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 518 राँची, सोमवार

21 मई, 2018 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

18 मई, 2018

संख्या-एल०जी०-09/2018-40/लेज०-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर राज्यपाल दिनांक 17 मई, 2018 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश 2018

(झारखण्ड अध्यादेश संख्या, 05, 2018)

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 में संशोधन हेतु अध्यादेश ।

भारत गणराज्य के अड़सठवें (68वें) वर्ष में झारखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

3. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-
- (1) यह अध्यादेश झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश 2018 कहा जा सकेगा ।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
 - (3) यह झारखण्ड राज्य गजट के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त माना जायेगा ।
4. झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम् 2001 की धारा-7(3) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाता है-

“पथ कर के लिए किसी बस में एक स्लीपर की गणना दो बैठान सीट के रूप में की जायेगी “

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

18 मई, 2018

संख्या-एल०जी०-09/2018-41/लेज०-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश और राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 मई, 2018 को अनुमत झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश 2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

Jharkhand Motor Vehicle Taxation (Amendment) Ordinance 2018 **(Jharkhand Ordinance, 05, 2018)**

An ordinance to amend Jharkhand Motor Vehicle Taxation Act.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the sixty eight year of the republic as follows:-

1. Short title, Extent and Commencement –
 - (1) This ordinance may be called Jharkhand Motor Vehicle Taxation (Amendment) Ordinance 2018.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
 - (3) It shall come into force from the date of publication in Jharkhand State Gazette.
2. The following Sub-clause is inserted in section 7(3) of the Jharkhand Motor Vehicle Taxation Act, 2001 –

"One Sleeper Seat in a bus shall be calculated as 2(Two) seats for road tax"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।